आम सूचना
जिला विधिक सेवा प्राधिकार, बक्सर
पारा विधिक स्वयं सेवकों के चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित हैं।
(यह किसी सरकारी पद पर नियुक्ति नहीं हैं)

कौन आवेदन दे सकता हैः–

ऐसे व्यक्ति (महिला / पुरूष) जो बिना किसी आर्थिक लाभ के समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गो के उत्थान में रूचि रखते हैं तथा उनके लिए कार्य करना चाहते हैं इनमें शिक्षक (सेवा निवृत शिक्षक सहित) सेवा निवृत सरकारी सेवक, वरिष्ठ नागरिक,, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, डॉक्टर, छात्र, गैर सरकारी संगठन एवं क्लब के सदस्य, स्वयं सेवा समूह, मैत्री समूह, जीविका आदि के सदस्य एवं अन्य व्यक्ति, विद्वान अधिवक्ता को छोड़कर, जो स्वयं सेवा में रूचि रखते हो तथा जिन्हें विधिक सेवा प्राधिकार ठीक समझे। पूर्व में चयनित पारा विधिक स्वयं सेवक भी पुनः आवेदन दे सकते है, उन्हें वरियता प्रदान की जाएगी।

पारा विधिक स्वयं सेवक के कार्य

पारा विधिक स्वयं सेवकों को अपने क्षेत्र में विधिक जागरूकता, विधिक सहायता के लिए पीड़ितों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बीच सेतु का कार्य, प्राधिकार के प्रबंध कार्यालय एवं विधिक सहायता केन्द्र में विधिक सेवा का कार्य या अन्य कोई कार्य जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय द्वारा सौपा जाए को करना हैं।

पदों की संख्याः

100 (एक सौ) चूंकि पारा विधिक स्वयं सेवकों से गाँवों या गाँवों के समूह में कार्य लेना है। अतः जिले के सभी क्षेत्रों से पारा विधिक स्वयं सेवकों का चयन क्षेत्रीय आधार पर किया जायेगा। सभी आवेदक अपने –अपने प्रखण्ड से ही आवेदन करेंगें।

आरक्षणः

क्योकिं पारा विधिक स्वयं सेवक को स्वेच्छा से बिना किसी लाभ के कार्य करना हैं तथा यह कोई सरकारी पद पर भर्ती नहीं है। अतः पदों का आरक्षण नहीं हैं । परन्तु स्कीम के अनुरूप सभी वर्गो को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।

शैक्षणिक योग्यताः मैट्रिक / इण्टरमीडिएट

आवेदक विहित प्रपत्र में आवेदन पूरी तरह भरकर तथा अपनी शैक्षणीक एवं अन्य योग्यताओं का प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति लगाकर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, बक्सर के कार्यालय में हाथों-हाथ या पंजीकृत डाक से **दिनांक** 30.06.2025 तक भेजें। इस तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर कोई भी विचार नहीं किया जायेगा। **आवेदन के साथ पच्चीस रूपयें का डाक टिकट लगा, स्वपता लिखा लिफाफा अनिवार्य रूप से संलग्न करें। आवेदक अपने आवेदन पर अपनी संपर्क संख्या अनिवार्य रूप से लिखे।**

मानदेयः

रू० 500/– (पॉच सौ रूपया) प्रतिदिन। परन्तु यह मानदेय केवल उन विशेष दिनों के लिए भुगतेय होगा जिस दिन विधिक सेवा प्राधिकार उन्हें कोई विशेष कार्य करने हेतु सौंपती हैं या स्वयं सेवक गाँव से किसी व्यक्ति को विधिक सहायता हेतु विधिक सेवा प्राधिकार या ए० डी० आर० केन्द्र में ले आता है या अपने क्षेत्र में विधिक जागरूकता शिविरों के आयोजन में सक्रिय भागीदारी निभाता है।

सामान्य अनुदेश।

(1) आवेदक भारत का नागरिक हो।

(2) शारिरीक रूप से स्वस्थ हो।

(3) अच्छा चरित्र का हो, तथा समाज सेवा में रूचि रखता हो।

अभ्यर्थियों के रिर्पोटिंग का समय एवं स्थान : अपरांह 02: 00 बजे से, विधिक सेवा सदन, व्यवहार न्यायालय परिसर, बक्सर

साक्षात्कार कि तिथि : दिनांक 07 वीं जुलाई 2025, दिनांक 08 वीं जुलाई 2025, दिनांक 09 वीं जुलाई 2025, संध्या : 04:35 बजे से

आवेदन भेजने का पताः

सचिव
कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकार
विधिक सेवा सदन, व्यवहार न्यायालय, बक्सर

सम्पर्क संख्या . 06183.–299925
अन्तिम तिथि . 30.06,2025.